DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative & other matters)
Tuesday 02nd March, 2010/11 Phalgun 1931 (Saka)

No. 61

COMMENCEMENT OF THE FOURTH SESSION (BUDGET SESSION) OF THE FOURTH LEGISLATIVE ASSEMBLY OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI:

Hon'ble Members are informed that the Fourth (Budget Session) of the Fourth Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi will commence on Monday, the 15th March 2010 at 11.00 AM in the Assembly Hall, Old Secretariat, Delhi.

LT. GOVERNOR'S ADDRESS:

Being the first session of the year, Hon'ble Lt. Governor shall address the Assembly on 15th March. 2010, at 11 AM. Hon'ble Members are requested to kindly be in their seat by 10.50 AM.

Ten minutes after Hon'ble Lt. Governor's departure, the duly constituted sitting of the House shall take place to transact the listed business.

ALLOTMENT OF THE DAYS FOR THE TRANSACTION OF BUSINESS DURING FOURTH SESSION:

The sitting of the Legislative Assembly for the transaction of business have been tentatively fixed for 15,16,17, 18, 19, 22, 23, 25, 26, 29, 30th & 31st March and 1st April, 2010.

TIME OF SITTING:

Except on 15th March 2010 when the Lt. Governor shall address the Members at 11.00 A.M. the sitting of the Legislative Assembly shall commence at 2.00 P.M. and continue till it is adjourned for the day.

NOTICE OF QUESTIONS:

Notices of questions for the Fourth Session will be received with immediate effect.

ALLOTMENT OF DAYS FOR ANSWERING QUESTIONS DURING THE FOURTH SESSION (RULE 37):

For the Fourth Session (Budget Session), the days for answering questions by Ministers in respect

of various Departments have been arranged so far under:

SI. No.	Group of Departments	Date of Sitting	Last date for receipt of questions for the Department in col. 2 (Up to 3.00 PM)	Date of holding ballot for determination of priority for oral questions (At 5.00 PM)
1	2	3	4	5
	Home, Vigilance, Services,	16th Mar. 10	3 rd Mar. 10	3 rd Mar. 10
	Power, General Admn.	Tuesday	Wednesday	Wednesday
	Deptt.(GAD), Higher Education, Training & Technical Education, Commonwealth Games Information Technology, Information & Publicity, Education, Food & Civil	25 th Mar. 10 Thursday	11 th Mar. 10 Thursday	11 th Mar. 10 Thursday
	Supplies,		there	ath no.
2	Tourism, Art & Culture,	17 th Mar. 10	4th Mar. 10	4 th Mar. 10
	Environment, Water,	Wednesday	Thursday	Thursday 12 th Mar. 10
	Bhagidari, Public Relations, Administrative Reforms, Jail, Forest & Wildlife, Transport, Gurudwara Administration and Elections, Industries	26 th Mar. 10 Friday	12 th Mar. 10 Friday	Friday
3	Development, Revenue,	18 th Mar. 10	5 th Mar. 10	5th Mar. 10
_	Cooperative, Medical &	Thursday	Friday	Friday
	Public Health, Health and family Welfare, Prevention of Food Adulteration, Election	29 th Mar. 10 Monday	15 th Mar. 10 Monday	15 th Mar. 10 Monday
4	Finance, Planning, Trade &	19th Mar. 10	5 th Mar. 10	5 th Mar. 10
Т	Taxes, Excise, Social Welfare,	Friday	Friday	Friday
	Labour, Languages,	30 th Mar.10	16th Mar. 10	16 th Mar. 10
		Tuesday	Tuesday	Tuesday
5	Irrigation & Flood Control,	22 nd Mar. 10	8th Mar. 10	8 th Mar. 10
	PWD & Housing Women &	Monday	Monday	Monday
	Child Welfare, Employment	31 st Mar.10 Wednesday	17 th Mar. 08 Wednesday	17 th Mar. 08 Wednesday
6	Haben Davidonment Land &	23 rd Mar. 10	9 th Mar. 10	9 th Mar. 10
	Urban Development, Land & Building, Entertainment, Law, Justice & Legislative	Tuesday	Tuesday	Tuesday
	Affairs, Welfare of SC/ST/OBCs,	1 st April 10 Thursday	18 th Mar.08 Thursday	18 th Mar. 08 Thursday

Note:

- 1. The question should primarily relate to one Department only {(Rule 31 (xxii)}.
- 2. Members may kindly note that if notice of question is received after the last date and time in respect of various departments vide col. No. 3 and 4, such a notice shall stand disallowed. The time for receipt of notices shall be upto 3.00 P.M. on the last date of receipt of questions for departments as shown in column 4 above.
- 3. Where the questions draw a reference to a news item published in a national or local daily, the question in order to be admissible must be accompanied by the relevant clipping of the news items. The questions not accompanied by relevant clippings are likely to be disallowed.
- 4. The clubbing of questions will be done in case several notices of question on the same subject matter are received. Notices or questions subsequently received and repeating in substances the same subject-matters are liable to be disallowed {(Rule 31(vii)}.
- 5. Members are requested to indicate clearly and legibly their priority in respect of questions. If no priority is indicated, the same will be decided according to the Rules.
- 6. Ballot will be held in the room of the Secretary (Room No.-54) as per schedule indicated Hon'ble Members are welcome to participate in the balloting.
- 7. Members May kindly note that notices of questions relating to day-to-day administration and functioning of Municipal Corporation of Delhi may not be entertained. The same are liable to be disallowed under Rule 31(xiii).

SPECIAL MENTIONS UNDER RULE 280:

Members who want to raise matters under Rule 280 may give notice of the same by 11.00 A.M on the date the matter is proposed to be raised. Balloting for fixing inter-se priority for the first 10 notices will be held in the room of the Secretary at 11.15 AM on each day. Hon'ble Members are requested to participate in the balloting.

Members are requested to confine the text of the Special Mention to 8-10 lines only and not to deviate from the original text while raising the same on the floor of the House. The matter should relate to only one Department and raise only one issue.

PRIVATE MEMBER'S BUSINESS:

The sittings of the House to be held on Friday the 19th March 2010 and 26th March 2010 have been allotted for Private Members Business.

The last date of receipt of notices of Private Member's Bills & Resolutions for Friday the 19th March 2010 is 5th March 2010 up to 3.00 P.M. and the last date of receipt of notices of Private Member's Bills & Resolutions for the Friday, 26th March 2010 is 12th March 2010 up to 3.00 P.M.

The balloting shall take place at 4.30 P.M on same day in the room of Secretary. Members are welcome to participate in balloting.

PROCEDURE OF NOTICES:

(a) Kind attention of the members is invited to Rule 258 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Legislative Assembly, which reads as follows:

(i) Every notice required by the rules shall be given in writing addressed to the Secretary and signed by the member giving notice, also indicating his division number, and shall be delivered in the Notice Officer between such hours as notified from time to time, on every day except Saturdays, Sundays and public holidays.

(ii) A notice received in the Notice Office after the hours other than those

specified in sub-rule (1) shall be treated as given on the next working day.

(b) Every notice should be signed in ink by the Member giving the notice, indicating his division number and name in Capital letters and should be deposited only in the Assembly Notice Office. THE NOTICE OFFICE IS LOCATED IN ROOM NO. 46

(c) All notice delivered in the Assembly Notice Office are date-stamped and the time of receipt is

also indicated thereon.

(d) As the Assembly Notice Office is alone responsible for transmission of the notices to the Branches/Officers concerned without delay, Members are, therefore, requested not to deposit their notices either at the Table of the House or with any other Officer/Branch of the Assembly Secretariat. If any Members do so, it is not likely to be taken note of.

(e) The Assembly Notice Office shall remain open during office hours.

VISITOR'S GALLERY:

As per direction of Hon'ble Speaker, Application forms for the issue of visitors' gallery passes must be submitted by 5.00 P.M. on the working day previous to the date for which the gallery passes are required. For example, application for the gallery passes meant for sitting of the House on 15.03.2010 will be accepted up to 5.00 PM on the earlier working day i.e, 12.03. 2010(13.03.2010 and 14.03.2010 being holidays). Similarly, an application for gallery passes for the subsequent dates would be processed and issued in the like manner.

The seating capacity in the visitors' gallery being limited, not more than two passes shall ordinarily be issued to a member for each sitting. No admission cards for the Visitors Gallery will

ordinarily be issued on the same day.

Members are requested to recommend issue of gallery pass only for those visitors whose antecedents are well known to them.

NOTE:- HON'BLE MEMBERS MAY KINDLY ENSURE THAT CELLULAR PHONES, PAGERS OR OTHER ELECTRONIC GADGETS ETC ARE KEPT OUTSIDE THE HOUSE.

Siddharath Rao Secretary

Fourth (Budget) Session Provisional Calendar of Sittings

Sitting	Date	Day	Business
1.	15 th March, 10	Monday	Lieutenant Governor's Address
2.	16 th March, 10	Tuesday	Government Business
3.	17 th March, 10	Wednesday	Government Business
4.	18 th March, 10	Thursday	Government Business
5.	19 th March, 10	Friday	Private Members Day
	20 th March,10	Saturday	Holiday
	21 st March, 10	Sunday	Holiday
6.	22 nd March,10	Monday	Government Business
7.	23 rd March, 10	Tuesday	Government Business
	24 th March, 10	Wednesday	Holiday(Ramnavami)
8.	25 th March, 10	Thursday	Government Business
9.	26 th March, 10	Friday	Private Members Day
	27 th March,10	Saturday	Holiday
	28 th March, 10	Sunday	Holiday
10.	29 th March, 10	Monday	Government Business
11.	30 th March,10	Tuesday	Government Business
12.	31st March, 10	Wednesday	Government Business
13.	1 st April, 10	Thursday	Government Business

दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी) मंगलवार, 2 मार्च, 2010 /फाल्गुन 11, 1931 (शक)

संख्या: 61

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की चौथी विधान सभा के चौथे सत्र का प्रारंभ

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की चौथी विधान सभा का चौथा (बजट) सत्र सोमवार, दिनांक 15 मार्च,2010 को पूर्वाहन 11.00 बजे से विधान सभा सभागार, पुराना सचिवालय, दिल्ली में प्रारंभ होगा।

उपराज्यपाल का अभिभाषण

वर्ष का पहला सत्र होने के कारण उपराज्यपाल दिनांक 15 मार्च,2010 को पूर्वाहन 11.00 बजे विधान सभा को सम्बोधित करेंगे । माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे पूर्वाहन 10.50 बजे तक सदन में अपना स्थान ग्रहण कर लें ।

उपराज्यपाल_के अभिभाषण के 10 मिनट के पश्चात सूचीबद्ध कार्य के निष्पादन के लिये सदन की विधिवत् बैठक होगी ।

चौथे सत्र के दौरान कार्य निष्पादन के लिये दिनों का आबंटन

कार्य निष्पादन हेतु विधान सभा की बैठकें अस्थायी तौर पर 15,16,17,18,19,22, 23, 25,26,29,30,31 मार्च,2010 एवं 01 अप्रैल,2010 के लिए निर्धारित की गई हैं ।

विधान सभा की बैठकों का समय

15 मार्च, 2010 को छोडकर,जबिक पूर्वाहन 11.00 बजे उपराज्यपाल विधान सभा को सम्बोधित करेंगे, विधान सभा की बैठकें अपराह्न 2.00 बजे प्रारंभ होगी और तब तक चलेंगी जब तक उसे, उस दिन के लिये स्थिगत न कर दिया जाये।

प्रश्नों की सूचनाएं एवं बैलेट

चौथे सत्र के लिये प्रश्नों की सूचनाएं तत्काल प्रभाव से प्राप्त की जायेंगी ।

चौथे सत्र के दौरान प्रश्नों का उत्तर देने के लिये दिनों का आबंटन (नियम-37)

मंत्रियों द्वारा चौथे सत्र में विभिन्न विभागों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नानुसार दिनों को निर्धारित किया गया है: -

क्र. सं.	विभाग	बैठक की तिथि	कॉलम-2 में दर्शाये विभागों से संबंधित प्रश्नों के नोटिस प्राप्त करने की तिथि (अप. 3.00	मौखिक रूप से पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए बैलेटिंग की तिथि (अप. 5.00
			बजे तक)	बजे)
1	2	3	4	5
1	गृह,सतर्कता,सेवाएं,ऊर्जा,सामान्य प्रशासन,उच्च शिक्षा,प्रशिक्षण एवं तकनीकी	16.03.10 (मंगलवार)	03.03.10 (बुधवार)	03.03.10 (बुधवार)
	शिक्षा,कॉमनवैल्थ गेम्स,सूचना प्रोद्योगिकी,सूचना एवं प्रचार,शिक्षा,खाद्य एवं संभरण,	25.03.10 (वृहस्पतिवार)	11.03.10 (वृहस्पतिवार)	11.03.10 (वृहस्पतिवार)
2	पर्यटन,कला एवं	17.03.10	04.03.10	04.03.10
	साहित्य,पर्यावरण,जल,भागीदारी,जन	(बुधवार)	(वृहस्पतिवार)	(वृहस्पतिवार)
	सम्पर्क,प्रशासनिक सुधार,कारागार,वन एवं	26.03.10	12.03.10	12.03.10
	वन्य जीवन,परिवहन,गुरुद्वारा प्रशासन एवं चुनाव,उद्योग,	(शुक्रवार)	(शुक्रवार)	(शुक्रवार)
3	विकास,राजस्व,सहकारिता,चिकित्सा एवं	18.03.10	05.03.10	05.03.10
	जन स्वास्थ्य,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,	(वृहस्पतिवार)	(शुक्रवार)	(शुक्रवार)
	खाद्य अपमिश्रण,चुनाव,	29.03.10	15.03.10	15.03.10
		(सोमवार)	(सोमवार)	(सोमवार)
4	वित्त,योजना,व्यापार एवं	19.03.10	05.03.10	05.03.10
	कर,आबकारी,समाज कल्याण,श्रम,भाषा	(शुक्रवार)	(शुक्रवार)	(शुक्रवार)
		30.03.10	16.03.10	16.03.10
		(मंगलवार)	(मंगलवार)	(मंगलवार)
5	सिचाईं एवं बाढ़ नियंत्रण,लोक निर्माण एवं	22.03.10	08.03.10	08.03.10
	आवास,महिला एवं बाल कल्याण,रोजगार	(सोमवार)	(सोमवार)	(सोमवार)
		31.03.10 (बुधवार)	17.03.10 (बुधवार)	17.03.10 (बुधवार)
6	शहरी विकास,भूमि एवं भवन,मनोरंजन	23.03.10	09.03.10	09.03.10
	कर,विधि न्याय एवं विधायी कार्य, अनुसूचित	(मंगलवार)	(मंगलवार)	(मंगलवार)
	जाति,जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग	01.04.10	18.03.10	18.03.10
	कल्याण	(वृहस्पतिवार)	(वृहस्पतिवार)	(वृहस्पतिवार)

टिप्पणी

- प्रश्न सामान्यतः एक ही विभाग से संबंधित होने चाहिए (नियम-31(xxii)) चौथे सत्र हेतु प्रश्नों की सूचना तत्काल प्रभावी होगी ।
- 2. माननीय सदस्य कृपया ध्यान दें कि कालम 3 और 4 के अनुसार यदि विभिन्न विभागों से संबंधित किसी प्रश्न की सूचना अंतिम तिथि और समय के पश्चात प्राप्त होगी तो ऐसी सूचना अस्वीकृत मानी जायेगी । सूचनाएं प्राप्त करने का समय अपराहन 3.00 बजे तक है ।
- उत्हां प्रश्न में किसी राष्ट्रीय अथवा स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित किसी समाचार का हवाला दिया जाये, वहां ऐसे प्रश्न को ग्राह्य बनाने हेतु उसके साथ संबंधित समाचारों की कतरन नत्थी करना आवश्यक है। इस तरह के जिन प्रश्नों के साथ संबंधित समाचारों की कतरनें नत्थी नहीं की जायेंगी, उन्हें अस्वीकृत कर दिया जायेगा
- 4. प्रश्नों को संयुक्त केवल उसी स्थिति में किया जायेगा, जब एक ही तरह के विषय पर बहुत से प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त होंगी । बाद में प्राप्त की गयी सूचनाएं, यदि उसी विषय से संबंधित होगी तो उन्हें नियम-31(vii) के अंतर्गत अस्वीकार कर दिया जायेगा
- 5. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे प्रश्नों पर अपनी प्राथमिकता का संकेत स्पष्टता और सफाई से. दें । यदि प्राथमिकता का संकेत नहीं दिया जाता है तो प्राथमिकता का निर्णय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
- 6. प्रश्नों की बैलेटिंग सचिव के कमरा नं.54 में दिए गये समयानुसार की जायेगी। सभी माननीय सदस्य बैलेटिंग में सम्मिलत होने के लिए आमंत्रित है।
- 7. माननीय सदस्य कृपया ध्यान दें कि दिल्ली नगर निगम के दैनिक प्रशासन और कार्यकलापों से संबंधित सूचनाएं न दी जाएं । ऐसे प्रश्नों को नियम 31(xiii) के अंतर्गत अस्वीकार कर दिया जायेगा ।

नियम 280 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख

जो माननीय सदस्य नियम 280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामलों को जिस दिन/तिथि को उठाना चाहते हैं, प्रस्तावित विषय की सूचना उसी दिन पूर्वाहन 11.00 बजे तक दे सकते हैं। प्रथम 10 सूचनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करने हेतु बैलेटिंग प्रत्येक दिन पूर्वाहन 11.15 बजे सचिव, विधान सभा के कक्ष में की जायेगी । माननीय सदस्यों से बैलेटिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अनुरोध किया जाता है।

सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे विशेष उल्लेख के पाठ को केवल 8-10 लाइनों तक ही सीमित रखें और सदन में उस विषय को उठाते समय केवल मूल पाठ हीं पढ़ें । विषय केवल एक ही विभाग एवं एक मुद्दे से संबंधित होना चाहिए । विधान सभा सचिवालय संबंधित विभाग को प्राय: उल्लेख के पाठ को हीं अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजता है ।

गैर सरकारी सदस्यों का कार्य

शुक्रवार, 19 मार्च,2010 एवं 26 मार्च,2010 की तिथियां गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों के लिये निर्धारित की गई हैं।

शुक्रवार, 19 मार्च 2010 को लिये जाने वाले गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों की सूचनाएं प्राप्त करने की अंतिम तिथि 05 मार्च 2010 को अपराहन 3.00 बजे तक है। शुक्रवार, 26 मार्च 2010 को लिये जाने वाले गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों की सूचनाएं प्राप्त करने की अंतिम तिथि 12 मार्च 2010 को अपराहन 3.00 बजे तक है। जिनके लिये बैलेटिंग उसी दिन अपराहन 4.30 बजे सचिव के कक्ष में सम्पन्न होगी।

माननीय सदस्यों का बैलेटिंग में भाग लेने के लिए स्वागत है ।

नोटिसों की प्रक्रिया

- (क) सदस्यों का ध्यान दिल्ली विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 258 की ओर आकर्षित किया जाता है, जो इस प्रकार से हैं: -
 - (i) नियमों द्वारा अपेक्षित प्रत्येक सूचना लिखित रूप में सचिव को सम्बोधित करते हुए दी जायेगी और सूचना देने वाले सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित की जायगी जिसमें उसकी विभाजन संख्या भी दर्शायी जायेगी तथा कार्यालय में ही दी जायेगी जो कि इस प्रयोजन के लिये शनिवार, रविवार या सार्वजनिक छुट्टी के दिनों को छोड़कर प्रत्येक दिन समय-समय पर अधिसूचित किये जाने वाले समय के लिये खुला रहेगा ।

(ii) सूचना कार्यालय में उप-नियम (1) के अंतर्गत अधिसूचित समय के बाद प्राप्त हुई सूचनाएं अगले कार्य दिवस के लिये दी गई समझी जायेगी ।

(ख) नोटिस देने वाले सदस्य को प्रत्येक सूचना पर मत विभाजन संख्या अंकित करते हुए बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखकर स्याही से हस्ताक्षर करने चाहिए और उसे विधान सभा के नोटिस कार्यालय में ही जमा कराना चाहिए । नोटिस कार्यालय कमरा नंबर 46 में स्थित है ।

- (ग) विधान सभा के नोटिस कार्यालय में दिए गए सभी नोटिसों पर तिथि की मुहर और नोटिस प्राप्त करने का समय भी अंकित किया जाता है ।
- (घ) विधान सभा के नोटिस कार्यालय ही सदस्यों की सूचनाओं को बिना विलम्ब किये सम्बद्ध शाखाओं/अधिकारियों तक प्रेषित करने के लिए उत्तरदायी है । अतएव, सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी सूचनाएं न तो सदन पटल पर रखें और न हीं विधान सभा के किसी अन्य अधिकारी/शाखा को दें यदि कोई सदस्य ऐसा करता है तो उनके द्वारा दिये गये नोटिस पर कोई ध्यान नहीं दिया जायेगा।
- (ड.) नोटिस आफिस कार्यालय समय के दौरान खुला रहेगा ।

दर्शक दीर्घा प्रवेश पत्र :

माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार दर्शक दीर्घा के प्रवेश पत्र जारी कराने के आवेदन-पत्र जिस दिन के लिए प्रवेश पत्र चाहिए, उस दिन से पूर्व एक कार्य दिवस को अपराहन 5.00 बजे तक अवश्य प्रस्तुत किये जाएं । उदाहरणार्थ 15/03/2010 को होने वाली सदन की बैठक के लिए दर्शक दीर्घा के लिये आवेदन पत्र पूर्व कार्य दिवस अर्थात् 12/03/2010 (13.3.2010 एवं 14.03.2010 को अवकाश होने के कारण) को अपराहन 5.00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे । इसी प्रकार अनुवर्ती तिथियों के दीर्घा प्रवेश पत्रों के लिये आवेदन पत्रों पर कार्रवाई की जायेगी और वे इसी प्रकार से स्वीकार किये जाएंगे ।

दर्शक दीर्घा में बैठने के लिए सीमित स्थान होने के कारण एक सदस्य को प्रत्येक बैठक के लिए दो से अधिक प्रवेश पत्र जारी नहीं किए जाएंगे । दर्शक दीर्घा के लिए प्रवेश-पत्र सामान्यतः उसी दिन जारी नहीं किये जाएंगे।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे केवल उन्हीं दर्शकों की सिफारिश करें जिनके चरित्र के बारे में वे भली-भांति जानते हैं।

टिप्पणी:

कृपया मोबाइल टेलिफोन आदि सदन के बाहर ही रखें।

सिद्धार्थ राव सचिव

दिल्ली विधान सभा

चतुर्थ (बजट) सत्र बैठकों का अस्थायी तिथि-पत्र

क्र.सं.	बैठक की तिथि	दिन	कार्य
1.	15 मार्च 2010	सोमवार	उपराज्यपाल का अभिभाषण
2.	16 मार्च 2010	मंगलवार	सरकारी कार्य
3.	17 मार्च 2010	बुधवार	सरकारी कार्य
4.	18 मार्च 2010	वृहस्पतिवार	सरकारी कार्य
5.	19 मार्च 2010	शुक्रवार	गैर सरकारी सदस्यों का कार्य
	20 मार्च 2010	शनिवार	अवकाश
	21 मार्च 2010	रविवार	अवकाश
6.	22 मार्च 2010	सोमवार	सरकारी कार्य
7.	23 मार्च 2010	मंगलवार	सरकारी कार्य
	24 मार्च 2010	बुधवार	अवकाश (रामनवमी)
8.	25 मार्च 2010	वृहस्पतिवार	सरकारी कार्य
9.	26 मार्च 2010	शुक्रवार	गैर सरकारी सदस्यों का कार्य
	27 मार्च 2010	शनिवार	अवकाश
	28 मार्च 2010	रविवार	अवकाश
10.	29 मार्च 2010	सोमवार	सरकारी कार्य
11.	30 मार्च 2010	मंगलवार	सरकारी कार्य
12.	31 मार्च 2010	बुधवार	सरकारी कार्य
13.	01 अप्रैल, 2010	वृहस्पतिवार	सरकारी कार्य